

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा. भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone:25487245/25487243

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-3026/2024

Ref: DCSEM/Enft/e-3026/2024

1819

अगस्त August 14, 2024

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करने के संबंध में।

Sub: Compulsory use of helmet – reg.

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के परिपत्र संदर्भ संख्या: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/परिपत्र/2023/1381 दिनांक 03.07.2023 का संदर्भ लें।

Reference is invited to this Directorate's circular with Ref.no. DCSEM/Enft/Circular/2023/1381 dated 03.07.2023 on the captioned subject.


2. निदेशालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि निवासी अभी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी सूचना पहले ही उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से दी जा चुकी है। भले ही दोपहिया वाहनों का उपयोग केवल कॉलोनी के अंदर ही किया जा रहा हो तथापि हेलमेट पहनने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और हेलमेट पहनना किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए सबसे एहतियाती निर्णयों में से एक है।

It has been brought to the notice of this Directorate that residents are still not complying with the instructions of the Regional Transport Office which have already been intimated vide the above circular. The importance of wearing a helmet should not be overlooked even if the two-wheelers are being used only inside the colony. The Safety should be a priority for any individual and wearing a helmet is one of the most precautionous decisions for any unforeseen circumstances.

3. सभी दोपहिया वाहन चालकों को एक बार फिर निर्देश दिया जाता है कि वे निदेशालय के दिनांक 03.07.2023 के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ऐसा न करने पर ऐसे व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अणुशक्तिनगर सुरक्षा सभी गेट से दोपहिया वाहनों को केवल तभी प्रवेश और निकास की अनुमति देगी, जब वे हेलमेट पहने हुए हों।

All two-wheeler users are once again directed to strictly abide by the instructions issued vide this Directorate's circular dated 03.07.2023. Failure to do so will make such individuals liable for action as per Motor Vehicle Act 1988. In addition, it may also be noted that Anushaktinagar Security will allow entry and exit of two-wheelers from all the gates only if they are wearing helmet.

4. सभी निवासियों का सहयोग अपेक्षित है।
Cooperation of all the residents is solicited.


14-08-2024

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर कोलोनियों के सभी आबंटिती - अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से - प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु।
All allottees of Anushaktinagar – Through respective Maintenance Units for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर – अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें कि दोपहिया वाहनों को सभी गेट से प्रवेश/निकास की अनुमति केवल तभी दी जाए जब वे हेलमेट पहने हों।
Chief Security Officer, Anushaktinagar – with a request to arrange to ensure that two-wheelers are allowed entry/exit from all gates only if they are wearing helmets.
- परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख - अपनी इकाई के कर्मचारियों के बीच परिचालन के लिए।
Administrative Heads of all Units of DAE – For circulation among the employees in their unit.
- महासचिव, आरवा, मारवा, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए
General Secretary, ARWA/MRWAWSRWA
- निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.